country as to how the land reform laws have been defeated from time to time, including the land ceiling law. While I admire you for bringing in issue I would like that the general question should be taken up and action should be taken against all those who are involved in these illegal transfers and who have taken undue advantage of the loopholes in the law and created a problem as a result of which the weaker segments of the society are still suffering.

श्री ईश दत्त यादव: इस प्वायंट को मैंने इसलिये उठाया कि दिल्ली प्रशासन और पिछली सरकार के कुछ लोगों ने इस गलत काम में हाथ लगाया था, मदद की थी । मैंने यह स्पेसिफिक केस दिया है ।

श्री पी० शिव शंकर: हमने आपको कंण्डम इतना ही किया है कि आपने यहां ऐसे आदमी का नाम लिया है, जो यहां सदन में अपने आपको डिफण्ड नहीं कर सकता और उस हद तक हम आपके साथ नहीं ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, that ought to be expunged. *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would look into the record. If any names have gone in which is in violation of the rules, I will expunge them. I will see if there is any violation of the rules.

PLIGHT OF REFUGEES IN SOUTH TRIPURA DISTRICT

SHRI NARAYAN KAR (Tripura): Madam, I want to draw the attention of the Government and the House, through you, to the plight of the Chakma refugees in the Kathalchari camp in South Tripura District.

Madam, these people are not getting their ration for the past 15 days. They have been demanding their ration. But, on the evening of 9th May, the BSF opened fire at them as a result of which three people, including two tribals, were killed. Though the Central Government is sanctioning all the ration and all the facilities, the State authorities are not giving them to the refugees. These refugees, as I mentioned, have not been getting their ration for the past 15 days.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): रिफ्यूजियों का राशन चोरी हो रहा है त्रिपुरा में ।

SHRI NARAYAN KAR: There is no facility for them. There is no drinking water; there is no medical care; and there is no housing facility. I request the Central Government, through you, to take care of these things. I also request that the Central Government should send a team to go through all these things. They should also decide whether these refugees should stay there or not. The Government should also take up the issue with the Bangladesh Government as to whether these refugees will go back or stick to Tripura.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): मेडम, हम सब लोग इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं । आपको भी मालूम है कि वहां रिफ्यूजीज का मामला बहुत संगीन हो गया है ।

उपसभापति: ठीक है, एसोसिएट । आप कुछ कह रही थीं, मिसेज सिन्हा ।

श्रीमती कमला सिन्हा: मैं यह कह रही थी जमीन के मामले में, महोदया, कि जिनके नाम से खरीदी गई है, अगर उनके नाम को रिकार्ड से आप हटा देंगी तो सारा मामला बेनामी हो जायेगा । यहां भी बेनामी और बाहर भी बेनामी ।

विपक्ष के नेता (श्री पी० शिव शंकर): नाम से हमने नहीं कहा । मैंने नाम की बात नहीं की है । मैंने जिन लोगों के नाम से खरीदी है उसने, यह नहीं कहा है कि उनके नाम को हटा दिया जाये ।

उपसभापति : वह कह रही है कि हाऊस के रिकार्ड में से नाम हटा देंगे तो डिस्क्शन बेनाम हो जायेगी ।

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADSWAMY): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Busines in this House during the week commencing Monday, the 14th May, 1990, will consist of:—

1. Discussion on the working of the Ministry of Civil Aviation.
2. Consideration and passing of the Legislative Councils Bill, 1990.
3. Discussion on the working of the Ministry of Urban Development.
4. Consideration and return of the Appropriation (No. 2) Bill, 1990, as passed by Lok Sabha.

SPECIAL MENTIONS

Demand for closure of unrecognised Universities

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीया उपसभापति महोदया, 28 मार्च, के एक दैनिक अखबार में छपी एक खबर के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 5 ऐसे विश्वविद्यालयों का पता लगा है कि जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं किन्तु वे जाली डिग्रियां जारी कर रहे हैं । इन विश्वविद्यालयों में से दो केरल में, दो उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में हैं । इनके नाम हैं: (1) यूनिवर्सिटी न्यूजीरूसेलम, कुथपराम्बा, केन्नानोर, केरल (2) वर्ल्ड सोशल वर्क यूनिवर्सिटी पेरुनगड़ी, केरल (3) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी, अचलताल, अलीगढ़ (उ०प्र०) (4) श्रीमती महादेवी वर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, मुगलसराय (उ०प्र०) और (5) डी०डी०बी० संस्कृत यूनिसर्विटी, पुथुर, तिरुची, तमिलनाडु ।

इससे पहले भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्मचारियों द्वारा खाली मार्कशीट मुहर सहित 50 रुपये में बेचने के धंधे के मामले को विशेष उल्लेख द्वारा उठा चुकी हूं । पता चला है कि पिछले पांच सालों में आयोग ने ऐसे विश्वविद्यालयों का पता लगाया है जो समाचार पत्रों में डिग्रियां और डिप्लोमा देने के लिये विज्ञापन देते हैं, लेकिन वास्तव में इन डिग्रियों का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि उन्हें कहीं भी मान्यता प्राप्त नहीं होती । इन विश्वविद्यालयों में आम तौर पर बी०ए०, बी०काम०, एम०ए०, एम०एड०, एम०बी०ए०, एलएल०बी०, पी०एच०डी०, डी०लिट० तथा पुस्तकालय आदि की डिग्रियां देने का विज्ञापन दिया जाता है । पता चला है कि इन विश्वविद्यालयों से कम से कम 25 हजार छात्र अब तक डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर ऐसे विश्वविद्यालयों को प्रकाश में लाने की जिम्मेदारी है, किन्तु पता चला है कि आयोग के पास इस कार्य के लिये कोई स्टाफ नहीं है । आयोग को ऐसे विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी तब मिलती है, जब किसी समाचार पत्र में विज्ञापन छपता या कोई व्यक्ति आयोग से इस बारे में शिकायत करता है या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का भी प्रावधान नहीं है । पता चला है कि अधिनियम की धारा 24 के अनुसार ऐसे जाली विश्वविद्यालयों पर अधिक से अधिक एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है । दिल्ली की दो संस्थायें – तक्षशिला केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उत्तम नगर और कर्मशियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरिया गंज को इस प्रकार की डिग्रियां जारी करने के कारण नोटिस जारी किये गये हैं, किन्तु अभी तक